प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,
.....
सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण
.....

पत्रांक– 566 /नि0शा0/2021–22 दिनांक– 16/11 ,2021.

विषयः **वित्तीय वर्ष 2020–21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021–22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0 वाई0) (के36/रा024/महिला लाभार्थी–40 के0+रा0) के अर्न्तगत महिलाओं हेतु रू0 187.5216 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के बजट आवंटन का प्रेषणः**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या– 25/2021/1109/17–1002(002)/1/2021 दिनांक 09.11.2021 (प्रति संलग्न) में वित्तीय वर्ष 2020–21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021–22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0 एस0वाई0) (के36/रा024/महिला लाभार्थी–40 के0+रा0) के अर्न्तगत महिलाओं हेतु शासन द्वारा रू0 187.5216 लाख (रू0 एक करोड़ सत्तासी लाख बावन हजार एक सौ साठ मात्र) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार इस निर्देश के साथ जनपदों को आवंटित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय सम्बन्धित लाभार्थियों को डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प्रश्नगत शासनादेश में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय।

1– भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के कियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या–31/2020/1047/सत्रह–म–2020–6–9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2– बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/सम्बंधित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3– जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3/2020/बी–1–375–दस–2021–231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06 जून, 1994 में दिये दिशा–निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

6 – स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

7– मोटर वाहनों तथा विशेषीकृत उपकरणों के क्रय हेतु निर्धारित प्रकिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई–टेण्डर/जेम पोर्टल विषयक दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/संबंधित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण का नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। यदि प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

9– भारत सरकार के पत्रांक जे0–18001/1/2017–एफवाई, दिनांक 23–04–.2020 के प्रस्तर–3(।।) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण–पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10– निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से कय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री/उपकरण कय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रकिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

11– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

12– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

13– धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

14–व्यय-प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) को अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

15– प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की गाइडलाइन में अधिकतम देय अनुदान राशि का प्रावधान है, लाभार्थी द्वारा कराए गए मानक के अनुसार वास्तविक कार्य के सापेक्ष आगणित धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार देय अनुदान धनराशि का हस्तान्तरण डी0बी0टी0 से उसके बैंक खाते में किया जायेगा।

16– लाभार्थी के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरण करने से पूर्व आहरण वितरण अधिकारी एवं संबंधित जनपदीय अधिकारी का दायित्व है कि वह सुनिश्चित कर लें कि लाभार्थी गाइडलाइन के अनुसार पात्र हैं एवं समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं।

17– विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी0पी0आर0) एवं वैधानिक स्वीकृतियों के अभाव में यदि धनराशि आहरण कर भुगतान किया जाता है तो आहरण वितरण अधिकारी व संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

18– उक्त धनराशि अनुदान सं0–17 के अन्तर्गत महिला वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित की जा रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिला लाभार्थियों को उक्त धनराशि से भुगतान कदापि न किया जाय। यदि आप द्वारा उक्त आवंटित धनराशि से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को भुगतान किया जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित आहरण वितरण अधिकारी की होगी और यह गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगा।

उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के अनुदान सं0–17 के अधीन लेखा शीर्षक–2405–मछली पालन, 101–अन्तर्देशीय मछली पालन– 01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0104– प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0आई0) (के036/रा024/महिला लाभार्थी–40 के0+रा0), 20 सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

19– उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या– (142) पर अंकित है।

भवदीया

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– /नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0,इलाहाबाद।
2 अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
3 संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी.....
4 उप निदेशक मत्स्य (नियो0), मुख्यालय।
5 गार्ड फाइल।
6 वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,
.....
सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण
.....

पत्रांक– /नि0शा0/2021–22 दिनांक– 16/11/,2021.

विषयः **वित्तीय वर्ष 2020–21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021–22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0 वाई0) (के36/रा024/महिला लाभार्थी–40 के0+रा0) के अर्न्तगत महिलाओं हेतु रू0 187.5216 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के बजट आवंटन का प्रेषणः**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या– 25/2021/1109/17–1002(002)/1/2021 दिनांक 09.11.2021 (प्रति संलग्न) में वित्तीय वर्ष 2020–21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021–22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0 एस0वाई0) (के36/रा024/महिला लाभार्थी–40 के0+रा0) के अर्न्तगत महिलाओं हेतु शासन द्वारा रू0 187.5216 लाख (रू0 एक करोड़ सत्तासी लाख बावन हजार एक सौ साठ मात्र) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार इस निर्देश के साथ जनपदों को आवंटित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय सम्बन्धित लाभार्थियों को डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प्रश्नगत शासनादेश में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय।

1– भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के क्रियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या–31/2020/1047/सत्रह–म–2020–6–9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2– बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/सम्बंधित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3– जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3/2020/बी–1–375–दस–2021–231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06 जून, 1994 में दिये दिशा–निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

6 – स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

7– मोटर वाहनों तथा विशेषीकृत उपकरणों के क्रय हेतु निर्धारित प्रकिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई–टेण्डर/जेम पोर्टल विषयक दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/संबंधित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण का नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। यदि प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

9– भारत सरकार के पत्रांक जे0–18001/1/2017–एफवाई, दिनांक 23–04–.2020 के प्रस्तर–3(।।) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण–पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10– निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री/उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रकिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

11– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

12– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

13– धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

14–व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) को अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

15– प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की गाइडलाइन में अधिकतम देय अनुदान राशि का प्रावधान है, लाभार्थी द्वारा कराए गए मानक के अनुसार वास्तविक कार्य के सापेक्ष आगणित धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार देय अनुदान धनराशि का हस्तान्तरण डी0बी0टी0 से उसके बैंक खाते में किया जायेगा।

16– लाभार्थी के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरण करने से पूर्व आहरण वितरण अधिकारी एवं संबंधित जनपदीय अधिकारी का दायित्व है कि वह सुनिश्चित कर लें कि लाभार्थी गाइडलाइन के अनुसार पात्र हैं एवं समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं।

17– विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी0पी0आर0) एवं वैधानिक स्वीकृतियों के अभाव में यदि धनराशि आहरण कर भुगतान किया जाता है तो आहरण वितरण अधिकारी व संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

18– उक्त धनराशि अनुदान सं0–17 के अन्तर्गत महिला वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित की जा रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिला लाभार्थियों को उक्त धनराशि से भुगतान कदापि न किया जाय। यदि आप द्वारा उक्त आवंटित धनराशि से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को भुगतान किया जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित आहरण वितरण अधिकारी की होगी और यह गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगा।

उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के अनुदान सं0–17 के अधीन लेखा शीर्षक–2405–मछली पालन, 101–अन्तर्देशीय मछली पालन– 01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0104– प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0आई0) (के036/रा024/महिला लाभार्थी–40 के0+रा0), 20 सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

19– उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या– (142) पर अंकित है।

भवदीया

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 566 /नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0,इलाहाबाद।
2 अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
3 संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी.....
4 उप निदेशक मत्स्य (नियो0), मुख्यालय।
5 गार्ड फाइल।
6 वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-15/11/2021

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-MEDIUM RAS FEMALE PMSY ALLOT 15-11-21
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
04 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के036/रा024-महिला लाभार्थी- 40 के0-36+रा0-24))

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1500000 9222000	1500000 9222000
2	बुलन्दशहर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1500000 4770960	1500000 4770960
3	आगरा-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	3000000 9577600	3000000 9577600
4	बरेली-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1500000 4994420	1500000 4994420
5	मिर्ज़ापुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1500000 12876000	1500000 12876000
6	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1500000 9434400	1500000 9434400
7	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	3752160 18491060	3752160 18491060
8	महाराजगंज-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1500000 8194560	1500000 8194560
9	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1500000 19201660	1500000 19201660
10	अम्बेदकर नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1500000 3588000	1500000 3588000
	योग	वर्तमान प्रगामी	18752160 100350660	18752160 100350660

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ सत्तासी लाख बावन हजार एक सौ साठ
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दस करोड़ तीन लाख पचास हजार छः सौ साठ

(पूजा रस्तोगी)
वित्त एवं लेखाधिकारी

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) **2020-21** **Annexure-**

मध्याकार आर0ए0एस0 / मध्याकार वायोफलाक / **Rs. 25 .0 lacs/unit**

महिला लाभार्थी

कम	जनपद	संख्या	धनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल प्रस्तावित अवमुक्त अनुदान में से		कुल प्रस्तावित अवमुक्त अनुदान (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आगरा	2	50.00	30.00	18.0000	12.0000	18.0000	12.0000	30.0000
2	मऊ	3	75.00	45.00	27.0000	18.0000	22.5130	15.0086	37.5216
3	गोरखपुर	1	25.00	15.00	9.0000	6.0000	9.0000	6.0000	15.0000
4	महाराजगंज	1	25.00	15.00	9.0000	6.0000	9.0000	6.0000	15.0000
5	कुशीनगर	1	25.00	15.00	9.0000	6.0000	9.0000	6.0000	15.0000
6	अम्बेडकर नगर	1	25.00	15.00	9.0000	6.0000	9.0000	6.0000	15.0000
7	बरेली	1	25.00	15.00	9.0000	6.0000	9.0000	6.0000	15.0000
8	मेरठ	1	25.00	15.00	9.0000	6.0000	9.0000	6.0000	15.0000
9	बुलन्दशहर	1	25.00	15.00	9.0000	6.0000	9.0000	6.0000	15.0000
10	मिर्जापुर	1	25.00	15.00	9.0000	6.0000	9.0000	6.0000	15.0000
	योग	**13**	**325.00**	**195.00**	**117.0000**	**78.0000**	**112.5130**	**75.0086**	**187.5216**

नोट– जनपद मऊ में सन्दर्भित परियोजना के अन्तर्गत 03 इकाईयों की स्थापना हेतु रू0 37.5216 लाख धनराशि अवमुक्ति का प्रस्ताव है, जिसमें से 02 इकाईयों हेतु रू0 15.00 लाख की दर से कुल रू0 30.00 लाख तथा 01 इकाई की स्थापना हेतु रू0 7.5216 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

559/Nो2118
12-11-2021

संख्या: 25 /2021/1109 /17-1002(002)/1/2021

प्रेषक,

डा0 सरोज कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

(5) (समकक्षित अधिकारी की प्रति संलग्न)

JDF

12-11-2021
(डा0 सरोज कुमार)
निदेशक मत्स्य उ0प्र0

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 09 नवम्बर ~~अक्टूबर~~, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21(कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के अन्तर्गत सामान्य महिला वर्ग हेतु कुल धनराशि रू0 187.5216 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-477 /नि0शा0/ 2021-22 /16-19(6) दिनांक 24 सितम्बर, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा सामान्य (पुरूष+महिला) वर्ग हेतु अवमुक्त कुल केन्द्रांश रू0 5322.57 लाख (रू0 2731.00 लाख + रू0 2591.57 लाख) के सापेक्ष अप्रयुक्त/पुनर्वैध केन्द्रांश रू0 4539.31 लाख में से महिला वर्ग हेतु अवशेष केन्द्रांश रू0 112.5130 लाख व मैचिंग राज्यांश रू0 75.0086 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल रू0 187.5216 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा सामान्य (पुरूष+महिला) वर्ग हेतु दो किश्तों में कुल केन्द्रांश रू0 5322.57 लाख (रू0 2731.00 लाख + रू0 2591.57 लाख) अवमुक्त किया गया था, जिसके सापेक्ष अवशेष / अप्रयुक्त केन्द्रांश रू0 4539.31 लाख को वर्ष 2021-22 में व्यय किये जाने हेतु पुनर्वैध कर दिया गया है। निदेशक मत्स्य के उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार उक्त पुनर्वैध केन्द्रांश रू0 4539.31 लाख में सामान्य पुरूष वर्ग हेतु रू0 1986.6208 लाख (कुल का 43.65 प्रतिशत) तथा महिला वर्ग हेतु रू0 2552.6892 लाख (कुल का 56.35 प्रतिशत) की धनराशि निहित थी। प्रश्नगत योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में सामान्य महिला मद में शेष केन्द्रांश रू0 2552.6892 लाख में से शासन के पत्र संख्या 16/2021/796/17-1002 (099)/3/2021 दिनांक 28 जुलाई, 2021 द्वारा मात्र केन्द्रांश रू0 2440.1762 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है और प्रश्नगत योजनान्तर्गत सामान्य महिला वर्ग मद में मात्र 112.5130 लाख का केन्द्रांश वर्तमान में अवशेष है।

(5)
DA (P)

11-11-21 (राजेन्द्र सिंह)
अ० संयुक्त

(2)

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के अन्तर्गत सामान्य महिला मद में अवशेष केन्द्रांश रू0 112.5130 लाख तथा मैचिंग राज्यांश रू0 75.0086 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रू0 187.5216 लाख (रू0 एक करोड सत्तासी लाख बावन हजार एक सौ साठ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न तालिकानुसार 01 परियोजना हेतु श्री राज्यपाल महोदय अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

<u>तालिका</u>

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	परियोजनाओं का नाम / वित्त पोषण (रा024+के036 -म0ला0-40) (के0+रा0)	इकाई /हे0)सं0 (	इकाई लागत	कुल परियोजना लागत	केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित			निर्गत की जाने वाली वित्तीय स्वीकृति			अभ्युक्ति
					केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	मध्यमाकार आर0ए0एस0/ बायोफ्लाक का निर्माण	30	25.00	750.00	270.00	180.00	300.00	112.5130	75.0086	187.5216	निदेशक मत्स्य के पत्र सं0 477/ नि0शा0/ 2021-22(6) 19-16 दिनांक 24 सितम्बर, 2021 द्वारा उपलब्ध कराये' गये जनपदवार फांट/ संलग्नकों के अनुसार।
						योग-		**112.5130**	**75.0086**	**187.5216**	

(रू0 एक करोड सत्तासी लाख बावन हजार एक सौ साठ मात्र)

(1) भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के क्रियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या-31/2020/1047/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) भारत सरकार द्वारा पुनर्वैध की गयी धनराशि विषयक पत्र दिनांक 04.05.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगें तथा पुनर्वैध धनराशि की सीमान्तर्गत उन्ही परियोजनाओं में व्यय करना सुनिश्चित करेगे, जो भारत सरकार के दिशा- निर्देशों के अनुरूप है।

(3) धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा, जब निदेशक मत्स्य/ सम्बधित अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन/ संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव भारत सरकार के दिशा- निर्देशों / गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-योजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

(6) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत है।

(7) वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

(8) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(9) संभावित व्यय को एक मुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार किया जाये।

(10) विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया गया है।

(11) कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

(12) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) भारत सरकार के पत्रांक जे0- 18001/1/2017-एफवाई, दिनांक 23.04.2020 के प्रस्तर- 3 (II) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करने तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(14) निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री /उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(15) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(16) धनराशि का आवंटन/एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है,जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत

(4)

राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो,तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(17) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(18) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375-दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06.06.1994 में दिये गये दिशा- निर्देशों/प्राविधानों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन 101-अन्तर्देशीय मछली पालन, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं,0104-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के036 /रा0 24 /महिला लाभार्थी-40, के0+रा0) 20- सहायता अनुदान – सामान्य (गैरवेतन) के नामें डाला जायेगा।

5 - यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर संख्या- 1-1853-दस- 2021-2022 दिनांक 28 अक्टूबर,2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(डा0 एस0 सन्तोष कुमार)
विशेष सचिव।

Signed by S. Santosh Kumar
Date: 01-11-2021 14:58:12
Reason: Approved

संख्या-25 /2021/1109 (1) /सत्रह-म-2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
4. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
5. सम्बधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
उप सचिव।